न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 39 / 2019 राजस्व अपील

1. उमराव पुत्र श्री पूरणमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 8.2.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम उमराव प्रकरण सं. 123 / 2019 अ.धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 26.08.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट उमराव पुत्र श्री पूरणमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय ने संवत 2075 में ग्राम गांवडी में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 59 रकबा 0.40 है. भूमि पर रबी की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.02.2019 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नही है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 59 रकबा 0.40 है. पर से कब्जा हटा लिया जाने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2019 में से 30 दिन का सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम गावडी में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 59 रकबा 0.40 है. किस्म चरागाह पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 08.02.2019 को बेदखल करने एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने पर अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 59 रकबा 0.40 है. पर से कब्जा हटा लिया जाने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.02.2019 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official